

# न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 41/2015 अपील (राजस्व)

श्री विष्णु पिता कन्हैयालाल डांगी निवासी डांगियो का गुड़ा, मजरा लखावली तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर

— अपीलान्ट

## बनाम

1. श्रीमती सल्लुबाई पत्नि श्री वेणीराम डांगी निवासी धोल की पाटी, डाकन कोटड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. मु. लच्छुबाई पत्नि श्री कन्हैयालाल डांगी निवासी सौभागपुरा (उमरवाड़ा), तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती टाकुबाई पत्नि श्री भगवतीलाल डांगी निवासी मदार तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री कन्हैयालाल पिता श्री दल्ला डांगी निवासी डांगियो का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

— विपक्षीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956  
अपील बनाराजगी निर्णय श्री तहसीलदार (भू.अ.) बड़गॉव, जिला  
उदयपुर बनामान्तरकरण संख्या 1984 निर्णय दिनांक 07.04.15

- उपस्थित: 1. श्री कन्हैयालाल चौर्डिया, अधिवक्ता अपीलान्ट  
2. श्री आलोक जैन, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

## निर्णय

दिनांक:— 15.05.18

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं अपीलार्थी द्वारा एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि मौजा लखावली में दल्ला पिता गंगाराम डांगी निवासी डांगियो का गुड़ा के खातेदारी की आराजी संख्या 6223, 6227, 6230, 6234 किता 4 रकबा 0.7800 हैक्टर स्थित हैं। साथही आराजी चाह संख्या 6220 रकबा 0.0200 हैक्टर में दल्ला जी का 1/3 हिस्सा था। दल्ला जी ने स्वयं की उक्त भूमि के संबंध

पंजीकृत अन्तिम इच्छा पत्र दिनांक 23.02.10 को सम्पादित कर अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्ट्री करायी एवं उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया जिससे उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया। उक्त भूमि का नामान्तरकरण विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अन्तिम इच्छा पत्र के आधार पर होकर अपीलान्ट का मौके पर वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये एवं मौके पर अपीलान्ट का आधिपत्य हो गया। तत्पश्चात् अपीलान्ट उक्त भूमि का विधिवत खातेदार काश्तकार हैं। इस संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से एक अपील उप जिला कलेक्टर गिर्वा में प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त प्रकरण को सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), उदयपुर द्वारा दिनांक 06.01.15 को रिमाण्ड किया व आदेश दिया गया कि “दोनो पक्षो को सुनकर विधिक जाँच कर कार्यवाही की जावें।” उक्त अपील रिमाण्ड होने के बाद अधिनस्थ तहसीलदार का दायित्व था कि वो उक्त अपील का निर्णय किये जाने के पूर्व अपीलान्ट को सूचना देते, अपीलान्ट को सुनते एवं अपीलान्ट को सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को उप जिला कलेक्टर गिर्वा उदयपुर द्वारा दिनांक 06.01.15 को प्रदान किय गये निर्णय की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में विचाराधीन थी इसकी जानकारी रेस्पोंडेंटगण को थी फिर भी रेस्पोंडेंटगण ने यह जानते हुए की उसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर में विचाराधीन है एवं जिसमें तहसीलदार गिर्वा स्वयं पक्षकार है ऐसी स्थिति में तहसीलदार गिर्वा का दायित्व था कि वो जो कि उनको प्रकरण में किसी प्रकार का निर्णय नहीं करना चाहिये क्योंकि वो स्वयं प्रकरण में पार्टी थे। जब निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय में थी उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि उक्त भूमि का अन्तिम इच्छा पत्र दल्ला जी द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में लिखा गया। उक्त दस्तावेज पंजीकृत है जिसके फर्जी या गलत होने की आशंका नहीं है ऐसी स्थिति में उनको इस संबंध में विधिक साक्ष्य लिया जाना चाहिये था एवं सम्पूर्ण कार्यवाही

करने के बाद ही उक्त निर्णय करना चाहिये था। अपीलान्त का मौके पर आधिपत्यधारी होकर अन्तिम इच्छा पत्र के अनुसार विधिक खातेदार काशतकार है एवं शान्तिपूर्वक उक्त भूमि का उपयोग उपभोग अपीलान्त करता चला आ रहा हैं। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय में जब रिमाण्ड आदेश में स्पष्ट अंकित किया गया कि अपीलान्त के पक्ष में अन्तिम इच्छा पत्र लिखा गया है तो ऐसा क्या कारण था कि अपीलान्त के पक्ष में नामान्तरकरण नहीं खोला गया व असत्य एवं मिथ्या आधार पर निर्णय पारित कर दिया यानि अन्तिम इच्छा पत्र के खिलाफ निर्णय पारित फरमाया गया है जो कि न्याय की परिधि में नहीं आता हैं। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त फरमाया जावें एवं पूर्व में जो नामान्तरकरण अपीलान्त के पक्ष में वसीयत के आधार पर खोला गया है उसी आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्त के पक्ष में खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

साथही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री आलोक जैन उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या 2, 3, 4 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहे हैं। अतः इनके विरुद्ध दिनांक 03.04.18 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि स्वर्गीय दल्ला जी द्वारा अपनी इच्छा से अपीलान्त के हक में कोई इच्छापत्र नहीं लिखा। वह काफी वृद्ध होकर 90 वर्ष के थे। उन्हे ना दिखायी देता था और नाही सुनाई देता था। जिससे रेस्पोंडेंट संख्या 4 कन्हैयालाल ने उक्त वसीयत अपने पुत्र अपीलान्त के नाम करवा दी। जबकि उक्त सम्पत्ति पैतृक थी व पैतृक

सम्पत्ति की वसीयत करने का दल्ला जी को कोई अधिकार नहीं था। केवल सरपंच से मिलकर रेस्पोंडेंट संख्या 4 द्वारा अपने पुत्र अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण खुलवा दिया। जबकि कानूनन ग्राम पंचायत या सरपंच को वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने का कोई अधिकार ही नहीं है एवं सरपंच अकेले को नामान्तरकरण खोलने का तो अधिकारी ही नहीं है। वसीयत संदिग्ध है। ऐसे दस्तावेज के आधार पर अपीलान्ट का भूमि में अपनेआप को खातेदार बताना विधिविरुद्ध है। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक उदयपुर द्वारा दिनांक 06.01.15 को प्रकरण रिमाण्ड किया गया एवं पूर्व में खुले नामान्तरकरण को निरस्त किया तथा यह दिशा निर्देश दिये कि मृतक दल्ला के विधिक वारीसान की जाँच कर नामान्तरकरण खोला जावे। उस आदेश की अपीलान्ट द्वारा सम्भागीय आयुक्त साहब के यहाँ अपील की एवं स्थगन चाहा गया। परन्तु सम्भागीय आयुक्त साहब द्वारा उक्त प्रकरण को देखने व दोनो पक्षो को स्थगन पर सुनने के बाद स्थगन जारी करना उचित नहीं समझा। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीदार बड़गाँव द्वारा विधिवत कार्यवाही कर सभी पक्षकारो को नोटिस जारी किये व दल्ला के नेचुरल वारीसानो के नाम नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये जो कानूनन सही है। क्योंकि विवादीत संदिग्ध वसीयत के आधार पर तहसीलदार जी को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। वसीयतगृहिता को सक्षम कोर्ट में दावा कर अपने अधिकार तय कराने होते हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये गये है वे तथ्यो की जाँच कर नेचुरल वारीसानो के नाम पर ही नामान्तरकरण खोला गया था जिसमें किसी प्रकार की काई त्रुटी नहीं है। मौरूसी सम्पत्ति के संबंध में सम्पूर्ण भूमि की वसीयत नहीं हो सकती है। अपीलान्ट का भूमि के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं है। अपीलान्ट की सारी बातें मनगढंत बनावटी हैं। जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वसीयतगृहिता को वसीयत की सत्यता को साबित करने हेतु सक्षम कोर्ट में चाराजोही करनी चाहिये। इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय

द्वारा निर्णय पारित किया गया है जो न्यायसंगत हैं एवं अपने अतिरिक्त जवाब में निवेदन किया है कि दल्ला जी के विधिक वारीसानो में पुत्र कन्हैयालाल पुत्री सल्लुबाई पुत्री लच्छुबाई व पुत्री टांकुबाई हैं। वादग्रस्त सम्पत्ति मौरूसी सम्पत्ति है जिसको वसीयत करने का दल्ला जी को कोई अधिकार नहीं था। दल्ला जी के पुत्र कन्हैयालाल द्वारा अपने पुत्र विष्णु जो कि अपीलान्ट के नाम उक्त भूमि की वसीयत करवा दी एवं वसीयत में स्वयं गवाह बन गया। जब इस बात का पता लगा तो तत्काल वसीयत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण की अपील सहायक कलक्टर गिर्वा में की गई जिनके द्वारा उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए दल्लाजी के वारीसानो की जाँच कर वह सम्पत्ति स्वअर्जित है या पैतृक जिसकी भी जाँच कर नामान्तरकरण नये सीरे से दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। नामान्तरकरण खोलने के बाद कन्हैयालाल जो कि प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 4 है ने लच्छुबाई व टांकुबाई के हिस्से की सम्पत्ति को अपन पक्ष में रिलीज करवा लिया। व अपने नाम नामान्तरकरण खुलवा लिया। जबकि इसी सम्पत्ति के संबंध में एकतरफ तो कन्हैयालाल कहता है कि मेरे पिता द्वारा मेरे पुत्र को भूमि की वसीयत की हैं। गवाह के रूप में मेरे हस्ताक्षर हैं और दुसरी तरफ जो नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया जिसमें चुंकी पुत्रीयो के नाम दर्ज की गई हैं। उसमें लच्छुबाई व टांकुबाई से भूमि अपने पक्ष में रिलीज करवाकर नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। जिससे भी यह बात स्पष्ट है कि उक्त वसीयत विवादीत व संदिग्ध हैं। इस प्रकार कन्हैयालाल द्वारा विरोधाभासी बात कर रहा हैं। जो कि इस वसीयत को संदिग्ध साबित करते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील विधिक प्रावधानो के विपरीत होने से व झूठे तथ्यो पर आधारित होने से खारीज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा

लखावली में दल्ला पिता गंगाराम डांगी निवासी डांगियो का गुड़ा के खातेदारी की आराजी संख्या 6223, 6227, 6230, 6234 किता 4 रकबा 0.7800 हैक्टर स्थित हैं। साथही आराजी चाह संख्या 6220 रकबा 0.0200 हैक्टर में दल्ला जी का 1/3 हिस्सा था। दल्ला जी ने स्वयं की उक्त भूमि के संबंध पंजीकृत अन्तिम इच्छा पत्र दिनांक 23.02.10 को सम्पादित कर अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्ट्री करायी एवं उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया जिससे उक्त भूमि का नामान्तरकरण अपीलान्ट के पक्ष में खोला गया। उक्त भूमि का नामान्तरकरण विधिवत पंजीकृत दस्तावेज अन्तिम इच्छा पत्र के आधार पर होकर अपीलान्ट का मौके पर वसीयत के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये एवं मौके पर अपीलान्ट का आधिपत्य हो गया। तत्पश्चात् अपीलान्ट उक्त भूमि का विधिवत खातेदार काश्तकार हैं। इस संबंध में रेस्पोंडेंट संख्या 1 की ओर से एक अपील उप जिला कलेक्टर गिर्वा में प्रस्तुत की गई जिसमें उक्त प्रकरण को सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), उदयपुर द्वारा दिनांक 06.01.15 को रिमाण्ड किया व आदेश दिया गया कि “दोनों पक्षों को सुनकर विधिक जाँच कर कार्यवाही की जावे।” उक्त अपील रिमाण्ड होने के बाद अधिनस्थ तहसीलदार का दायित्व था कि वो उक्त अपील का निर्णय किये जाने के पूर्व अपीलान्ट को सूचना देते, अपीलान्ट को सुनते एवं अपीलान्ट को सुनकर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय को उप जिला कलेक्टर गिर्वा उदयपुर द्वारा दिनांक 06.01.15 को प्रदान किय गये निर्णय की अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में विचाराधीन थी इसकी जानकारी रेस्पोंडेंटगण को थी फिर भी रेस्पोंडेंटगण ने यह जानते हुए की उसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर में विचाराधीन है एवं जिसमें तहसीलदार गिर्वा स्वयं पक्षकार हैं। इसके उपरान्त भी उनके द्वारा इस प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि उनका कानुनी एवं नैतिक दायित्व था कि इस प्रकरण में निर्णय नहीं करना चाहिये था। इसके उपरान्त भी आदेश

प्रदान कर दिया गया जो प्रथम दृष्ट्या खारीज किये जाने योग्य हैं। दल्लाजी द्वारा निष्पादित वसीयत पंजीकृत दस्तावेज है जिसके फर्जी या गलत होने की आशंका नहीं है। अतः तहसीलदार के खिलाफ अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त में अपील विचाराधीन हैं। वहाँ वह इसी प्रकरण में पैरवी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपीलान्ट के खिलाफ निर्णय पारित कर रहे हैं। ऐसे आदेश प्रथम दृष्ट्या निरस्त योग्य होने से अपीलीय नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाकर अपीलान्ट के पक्ष में नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खोले जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि स्वर्गीय दल्ला जी 90 वर्ष के होकर उनको दिखाई नहीं देता था। नाही सुनाई देता था। जिसका फायदा उनका पुत्र कन्हैयालाल द्वारा उठाकर सम्पूर्ण भूमि की वसीयत अपने पुत्र विष्णु के नाम पर पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर करवा दी। जिसमें स्वयं द्वारा साक्ष्य दी गई। जिसका नामान्तरकरण तस्दीक होने का ज्ञान होने पर विधिवत उक्त नामान्तरकरण की अपील न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक उदयपुर गिर्वा के न्यायालय में की गई। जहाँ से न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.01.15 से प्रकरण को रिमाण्ड कर पूर्व में वसीयत के आधार पर खोले नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए विधिक वारीसानो के आधार पर नामान्तरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसकी अपील अपीलार्थी द्वारा सम्भागीय आयुक्त के न्यायालय में की गई। जहाँ से स्थगन प्राप्त नहीं होने से अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर द्वारा दिये गये रिमाण्ड आदेश के अनुरूप विधिवत कार्यवाही करते हुए स्वर्गीय दल्ला जी के प्राकृतिक वारीसानो के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। उस आदेश पर खोले गये नामान्तरकरण की पुनः अपील की गई जो अपीलीय प्रकरण हैं। उक्त विचाराधीन नामान्तरकरण से लच्छुबाई व टांकुबाई के हिस्से की

सम्पत्ति को अपने पक्ष में श्री कन्हैयालाल द्वारा रिलीज करवा दिया गया। कन्हैयालाल कहता है कि मेरे पिता द्वारा मेरे पुत्र को भूमि की वसीयत की है व गवाह के रूप में मेरे हस्ताक्षर हैं। दूसरी तरफ जो नामान्तरकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया है जिसमें चुंकी पुत्रियों के नाम दर्ज की गई भूमि उसमें लच्छुबाई व टांकुबाई से भूमि अपने पक्ष में रिलीज करवाकर नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त वसीयत विवादीत व संदिग्ध है। जब किसी मृतक की विरासत को लेकर प्राकृतिक वारीसान व वसीयत वारीसान के मध्य विवाद हो तो वसीयती वारिस के लिये एकमात्र विकल्प वसीयत को सक्षम न्यायालय में साबित करके अपने आप को एकल वारीस घोषित करना चाहिये। साथ ही यह भी निवेदन किया कि वसीयत का निष्पादन विवादीत है। साथही यह भी निवेदन किया कि वसीयत की वैधता की जाँच करने की राजस्व न्यायालय को अधिकारीता नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है। स्वत्व का निर्धारण केवल घोषणा के वाद में ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वर्गीय दल्ला जी के प्राकृतिक वारीसानो के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण वैध है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा की गई अपील को निरस्त फरमाया जावे। अपनी बहस की ताईद में आरआरटी 2014(1) पेज 196, आर आर डी 1970 पेज 548, आर आर डी 1993 पेज 608, आर आर टी 2009 (2) पेज 988-989, आर बी जे 2008 पेज 68, आर आर टी 2003 (1) पेज 495, आर आर डी 2005 पेज 87, आर आर टी 2003 (1) पेज 650, आर आर टी 2009 (1) पेज 376, आर बी जे 2004 (11) पेज 610, आर बी जे 2004 पेज 514, आर बी जे 520, आर आर टी 2003 (1) पेज 157, आर आर टी 2008 पेज 241, आर आर डी 1993 पेज 634 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अध्ययन किया

गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय अधिवक्ता रेस्पोंडेंट के इस कथन से सहमत है कि वसीयत की वैधता की जाँच करने की राजस्व न्यायालय को अधिकारीता नहीं है। नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है। स्वत्व का निर्धारण केवल घोषणा के वाद में ही किया जा सकता है एवं इस कथन से सहमत है कि जब किसी मृतक की विरासत को लेकर प्राकृतिक वारीसान व वसीयत वारीसान के मध्य विवाद हो तो वसीयती वारीस के लिये एकमात्र विकल्प वसीयत को सक्षम न्यायालय में साबित करते अपने आप को एकल वारीस घोषित कराना है। वादग्रस्त सम्पत्ति भी मौरूसी है। सम्पूर्ण मौरूसी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है। रेस्पोंडेंट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज नामान्तरकरण संख्या 1087 ग्राम डांगियो का गुड़ा नामान्तरकरण संख्या 2035 ग्राम लखावली नामान्तरकरण संख्या 1359 ग्राम भीलवाड़ा के अनुसार रेस्पोंडेंट संख्या 4 कन्हैयालाल द्वारा अपनी बहने रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 लच्छुबाई व टांकुबाई के हिस्से की भूमि का हक त्याग करा अपने पक्ष में रिलीज से दर्ज करवाया गया है। इस कार्यवाही से रेस्पोंडेंट संख्या 4 कन्हैयालाल द्वारा विरोधाभासी कार्यवाही की जा रही है। जो स्वतः ही संदिग्ध प्रतीत होती है। क्योंकि स्वयं कन्हैयालाल दल्ला जी द्वारा निष्पादित वसीयत में गवाह हैं। परन्तु अपीलीय प्रकरण में जो मूल नामान्तरकरण वसीयत के आधार पर खोला गया था जिसकी अपील न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक गिर्वा में की गई थी जिसमें न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.01.15 से उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः दिशा निर्देशों के साथ में प्रतिप्रेषित किया गया था। जिसकी अपील अपीलान्त द्वारा सम्भागीय आयुक्त न्यायालय में की गई। जो वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गाँव भी पक्षकार हैं। उसके उपरान्त भी उनके द्वारा मात्र इस आधार पर कि सम्भागीय आयुक्त न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान नहीं किये जाने से प्रकरण में अपीलीय नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये। अपील

विचाराधीन हैं। जहाँ पर वे स्वयं पक्षकार संयोजित हैं। उसी प्रकरण में स्वयं के न्यायालय में कोई आदेश प्रदान कर देना न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का मत है कि प्रकरण तहसीलदार बड़गँव को इन निर्देशों के साथ में पुनः प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे माननीय न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा विचाराधीन अपील में जो भी आदेश प्रदान किया जायेगा उसकी पालना अधिनस्थ न्यायालय को अक्षरतः की जानी हैं। न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, उदयपुर के न्यायालय में विचाराधीन अपील के निर्णय तक अपीलीय नामान्तरकरण संख्या 1984 निर्णय दिनांक 07.04.15 को यथावत रखते हुए हस्तान्तरित सम्पत्ति का किसी पक्ष द्वारा अथवा उनके नौकर एजेन्ट द्वारा बैह बक्षीस नहीं की जावें। ताकि पक्षकारानों के मध्य वाद का बाहुल्यकरण न बढें।

अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाकर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)  
जिला कलक्टर  
उदयपुर